

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक-.....37...../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।

सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक-.....12.01.....2016

विषय : आपदा प्रबंधन शाखा से उपावंटित राशि जो लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित नहीं किया गया है से संबंधित सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपदा प्रबंधन शाखा से उपावंटित राशि यथा डीजल अनुदान, गृह क्षति अनुदान, कपड़ा एवं बर्तन अनुदान, नगद अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान आपको उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया है कि उपरोक्त मद की राशि लाभार्थी के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय। वर्तमान में प्रखंडों एवं अंचलों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अभी भी बहुत सारे लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तान्तरण नहीं हो पाया है। इस संबंध में पूर्व में भी आपको निदेशित किया जाता रहा है कि व्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुए शतप्रतिशत अनुदान की राशि संबंधित लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित किया जाय। बावजूद इसके अभी तक राशि का हस्तान्तरण नहीं होना खेदजनक स्थिति है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, इस प्रकार आपको उपलब्ध कराई गई राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी विभाग को भेजा जाना है। ससमय राशि का उपयोग नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यार्पण आवश्यक हो जाता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के भीतर ऐसे मामले जिनमें आपके द्वारा बैंक को एडभाईस भेज दिया गया है, लेकिन बैंक की शिथिलता के कारण राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित नहीं हो रही है, की सूची आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक-...../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक-.....2016

विषय : आपदा प्रबंधन शाखा से उपावृत्ति राशि जो लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित नहीं किया गया है से संबंधित सूचि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपदा प्रबंधन शाखा से उपावृत्ति राशि यथा डीजल अनुदान, गृह क्षति अनुदान, कपड़ा एवं बर्तन अनुदान, नगद अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान आपको उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया है कि उपरोक्त मद की राशि लाभार्थी के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय। वर्तमान में प्रखंडों एवं अंचलों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अभी भी बहुत सारे लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तान्तरण नहीं हो पाया है। इस संबंध में पूर्व में भी आपको निदेशित किया जाता रहा है कि व्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुए शतप्रतिशत अनुदान की राशि संबंधित लाभुकों के खाते में हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित किया जाय। बावजूद इसके अभी तक राशि का हस्तान्तरण नहीं होना खेदजनक स्थिति है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, इस प्रकार आपको उपलब्ध कराई गई राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी विभाग को भेजा जाना है। ससमय राशि का उपयोग नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यार्पण आवश्यक हो जाता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के भीतर ऐसे मामले जिनमें आपके द्वारा बैंक को एडभाईस भेज दिया गया है, लेकिन बैंक की शिथिलता के कारण राशि लाभुकों के खाते में हस्तान्तरित नहीं हो रही है, की सूची आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....39...../आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक-.....16.1.16.....

प्रतिलिपि :- एल0डी0एम0, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे सभी प्रखंडों/अंचलों से संबंधित शाखा प्रबंधकों के साथ समीक्षा कर प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।